© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 05 | Language | July 2017

महाभाष्यप्रदीपगत रुप्रकरण का विवेचनात्मक अध्ययन

उमेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, सत्जीन्दाकल्याणामहाविद्यालय, कलानौर, रोहतक

ISSN : 2348-5612 © URR

संस्कृत–व्याकरण की परम्परा में त्रिमुनि–व्याकरण का विशेष स्थान है। पाणिनीय–सूत्रों पर कात्यायन की वार्तिकों से तथा पतञ्जलि के महाभाष्य से एक पूर्ण–व्याकरण का निर्माण हुआ है। महाभाष्य पर लिखी गई कैयट की प्रदीप–टीका अत्यन्त विस्तार से भाष्यकार के मतों का खण्डन–मण्डन करती है। इस शोध–पत्र में पाणिनीय–अष्टाध्यायी के रुप्रकरण के महाभाष्यप्रदीपगत व्याख्यान को अनुसंधान का विषय बनाया गया हैं। अष्टाध्यायी में रुत्वप्रकरण का आरम्भ 'ससजुषो रुः[1]' सूत्र से होता है। इस सूत्र का अर्थ है कि पदान्त सकार और सजुष् को रुत्वादेश होता है। यथा – अग्निरत्र, वायुरत्र, सजूर्देवेभिः। इससे अग्रिम सूत्र है – 'अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च[2]' इस सूत्र से अवयाः, श्वेतवाः तथा पुरोडाः रुप निपातन से सिद्ध होते हैं।

अहन[3] :– पदान्त में अहन् शब्द को रु होता है – यह सूत्रार्थ है। यथा – अहोभ्याम्, अहोभिः। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि रुत्व विधि में अहम् शब्द को रुप, रात्रि और रथन्तर शब्द परे रहते रुत्व कहना चाहिये। जिससे अहोरुपम्, अहोरात्रः, अहोरथन्तरम् में भी अहन् को रुत्व हो सके। 'अहोरात्रः' में 'अहः सर्वेकदेश सख्यातपुण्याच्च रात्रेः'[4] से समासान्त 'अ' प्रत्यय करके इकार का लोप है। एकदेशविकृतन्याय से रात्र शब्द भी रात्रि शब्द है, उसके परे रहते अहन् को रुत्व हुआ है। तथा च भाष्य – 'रुत्वविधावह्नो रुपरात्रिरथन्तरेषूपसंख्यान कर्त्तव्यम्, अहोरुपम्, अहोरात्रः, अहोरथन्तरम् साम।[5]

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 05 | Language | July 2017

रोऽसुपि[6] :— यहाँ पूर्वसूत्र से स्थानी 'अहन्' की अनुवृत्ति है। 'रः' प्रथमैकवचनान्त आदेश वचन है, असुपि निषेध वचन है। अतः सूत्र का अर्थ हुआ — अहन् शब्द के नकार को रेफ आदेश होता है, यदि सुप् परे न हो तो। यथा — अहरहः, अहर्गणः।

यहाँ भाष्यकार पूर्वपक्ष में 'असुपि' को पर्युदासार्थक मानकर अर्थ करते ह — सुभिन्न सुप्सदृश परे रहते अहन् को रेफादेश हो। दीर्घम् अहो यस्मिन्नसौ 'दीर्घाहा' यहाँ भी अहन् शब्द से सुप्सदृश हल् पर में है, रेफादेश प्राप्त होने लगेगा, उसके निषेध के लिए 'असुपि रादेशे, उपसर्जनसमासे प्रतिषेधोऽलुकि' यह वार्तिक पढ़नी चाहिए।

समाधान पक्ष में भाष्यकार लिखते है कि यहाँ रेफादेश के निषेध के लिए वार्तिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समस्त दीर्घाहन शब्द से सु प्रत्यय, अनुबन्धलोप, हलङ्याभ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हलः[7]' सूत्र से सलोप, 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्[8]' से सुप् परे होने से रेफोदेश प्राप्त ही नहीं है। अहर्ददाति, अहर्भुङ्क्ते में 'स्वामोर्नपुंसकात्''[9], सूत्र से सु और अम् का लुक होने से प्रत्यय लक्षण का 'न लुमताङ्गस्य'[10] सूत्र से निषेध होन से सुप् नहीं होगा। अतः रेफादेश हो जायेगा।

तथा च भाष्य — 'असुपि रादेशे उपसर्जनसमासे अलुकि प्रतिषेधो वक्तव्यः, दीर्घाहा निदाघ इति। सिद्धं तु सुपि प्रतिषेधात[11]। प्रदीपकार भी लिखते है कि 'प्रत्ययलक्षणेन दीर्घाहा निदाघ इत्यत्र सुप्परत्वाद्रत्वाऽभावः[12]। नारायणी टीकाकार भी समर्थन में स्पष्टीकरण के लिए लिखते है कि 'तत्र हलङ्यादिलोपे नकारस्य रादेशे प्राप्ते प्रतिषेध उच्यते[13]।'

अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि[14]

अम्नन्, रुधर और अवर शब्द को वेद में उभयथा—रुत्व और रेफादेश दोनों विकल्प से होते है। यथा—रुत्व आदेश होन पर 'अम्न एव', रेफादेश होने पर 'अम्नरेव' रूप होगा।

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 05 | Language | July 2017

यहाँ भाष्यकार लिखते है कि वेद और लोक में भी राजन् शब्द परे रहते प्रचेतस् शब्द को रुत्व और रेफादेश करना चाहिए। रुत्व होने पर 'प्रचेतो राजन्' तथा रेफादेश होने पर 'प्रचेता राजन्' रुप होगा।

अहरादिगणपठित शब्दों को पत्यादिगण पठित शब्दों के परे रहते विकल्प से रुत्व और रेफादेश कहना चाहिए। रेफादेश होने पर अहर्पतिः, रुत्व होने पर 'अहःUपतिः' रुप होगा। 'कुप्वाः— कः पौ च[15]' सूत्र से एक पक्ष में विसर्ग को उपध्मानीय होने से 'अहUयति' में भी रुप सिद्ध होगा। इसी तरह अहर्पुत्रः, अहः पुत्रः, अह पुत्रः, गीर्पतिः, गीः पतिः, गीUपतिः, धूर्पतिः, धूःUपतिः, धूUपतिः भी रूप होगें।

तथा च भाष्य — 'छन्दसि भाषायां च प्रचेतसो राजन्युपसंख्यानं कर्त्तव्यम्। प्रचेतो राजन् प्रचेता राजन्। अहरादीनां पत्यादिषूपसंख्यानम्[16]।

मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि[17]

इस सूत्र में संहितायाम्, पदस्य की अनुवृत्ति आने से अर्थ हुआ कि मत्वन्त तथा वस्वन्त पद को रु आदेश होता है, संहिता में, सम्बुद्धि परे रहते, वेद विषय में। यथा—इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम्[18]। हरिवो में दिन त्वा[19]।

मरुत्वन् और हरिवन् की स्थिति में प्रकृत सूत्र से नकार को रु आदेश होता है। मरुत्वः में रु को विसर्ग तथा हरिवो में रु को उत्व और गुण होता है।

वसु प्रत्ययान्त के उदाहरण — 'मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड इन्द्र साह्वः[20]।' 'मिह सेचन[21]' धातु से क्वसु प्रत्यय, निपातन से द्वित्व का अभाव, इट् का अभाव तथा उपधा का दीर्घ होता ह। 'मीह् वस्' ऐसी स्थिति में ढत्व, स् को रुत्व, विसर्ग, सत्व होता है।

यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि मतुप् और वसु के आदेश की विषयता में वन् को भी रुत्वादेश कहना चाहिए। यहाँ वन् से क्वनिप् और वनिप् का सामान्य ग्रहण है। यथा — 'यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः'।

तथा च भाष्य – 'मतुवसोरादेशे वन उपसंख्यान कर्त्तव्यम्। यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः।'[22]

नारायणी टीकाकार भी लिखते हैं 'प्रातः पूर्वादिणः क्वनिपि 'हस्वस्य' इति तुक्। अतिथेः सम्बोधनमेतत् हे प्रातरागामिन्।'[23]

'सिपि धातो रुर्वा'[24] सूत्र से सकारान्त पद की धातु को विकल्प स 'रु' आदेश प्राप्त होता है, पक्ष में ढकार होता है। यथा–अचकाः त्वम्, अचकात् त्वम्। इस सूत्र पर भाष्य प्राप्त नहीं होता।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1. पाणिनीय अष्टाध्यायी 8–2–66
2. पाणिनीय अष्टाध्यायी–8–2–67
3. पाणिनीय अष्टाध्यायी–8–2–68
4. पाणिनीय अष्टाध्यायी–5–4–87
5. व्याकरण महाभाष्य, भाग–6, पृष्ठ 130
6. पाणिनीय अष्टाध्यायी –8–2–69
7. पाणिनीय अष्टाध्यायी – 6–1–68
8. पाणिनीय अष्टाध्यायी – 1–1–62
9. पाणिनीय अष्टाध्यायी–7–1–13
10. पाणिनीय अष्टाध्यायी–1–1–63
11. व्याकरण महाभाष्य, भाग–6, पृष्ठ–130
12. व्याकरण महा॰, प्रदीप टीका, भाग–6, पृष्ठ
13. महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानानि, नारायणी टीका, पृष्ठ–395
14. पाणिनीय अष्टाध्यायी– 8–2–70
15. पाणिनीय अष्टाध्यायी – 8–3–37
16. व्याकरण महाभाष्य, भाग–6, पृष्ठ–131
17. पाणिनीय अष्टाध्यायी–8–3–1
18. ऋग्वेद – 4–51–7
19. ऋग्वेद –10–128–1
20. ऋग्वेद –2–33–14
21. पाणिनीय धातुपाठ– 992
22. व्याकरण महाभाष्य, भाग–6, पृष्ठ 153
23. महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानानि, नारायणी टीका, पृष्ठ 416
24. पाणिनीय अष्टाध्यायी–8–2–74

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 05 | Language | July 2017